संख्या-627/2018/969/22-2-2018-17(195)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी राममनोरथ वर्मा पुत्र श्री दरबारी लाल, निवासी जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0 (बैठक-15-05-2018) दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राममनोरथ वर्मा पुत्र श्री दरबारी लाल, निवासी-ग्राम-चन्दापुर, पोस्ट-गूढा, थाना-शिवगढ़, जनपद-रायबरेली रहने वाला है। बन्दी द्वारा दुश्मनी की रंजिश को लेकर दिनांक 21.02.1986 को बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167, 168/1986 में भा0द0वि0 की धारा-307 व आर्म्स एक्ट की धारा-25 सपठित धारा-3 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-05, लखनऊ के आदेश दिनांक 31.03.1995 द्वारा 07 वर्ष की कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.12.2016 तक 01 वर्ष, 05 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष, 10 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राममनोरथ वर्मा (बन्दी संख्या-454/2015) पुत्र श्री दरबारी लाल, निवासी जनपद-रायबरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-627/2018/969(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in